



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
 18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
**Tel.: 011-2695168, 8860748880**  
**Email- mpquota@kvs.gov.in**  
 Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक-31.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Pakauri Lal** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **452** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	द्रीशिका श्री	हरीशंकर सिंह, मो. 9934033242	3	चोपन
2	वावू सुरेन	मुन्ना लाल, मो. 9305172717,9559717172	9	चोपन
3	सानिया गुप्ता	मनोज गुप्ता चिल्का टाड , शक्तिनगर, सोनभद्र	9	NTPC, शक्तिनगर
4	आदर्श पाण्डेय	अशोक देव पाण्डेय, मो. 7985973509	9	चोपन
5	सुनील कुमार सिंह	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, मो. 7905619939	6	चोपन
6	नन्दनी शुक्ला	तीर्थराज शुक्ल, मो. 7007203391	4	चोपन
7	शिवांग यादव	प्रवीण कुमार यादव, मो. 9455055051	1	चोपन
8	कौस्तुभ केशरी	<b>INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP</b>		
9	शानू प्रताप	भानू प्रताप, मो. 9936388633	1	चोपन
10	यश कुमार सिंह	<b>INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP</b>		

पिता ठाकुर  
क. प. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 15.09.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पत्र 01/02  
31/8/20  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Pakauri Lal माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **VARANASI** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

